भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1680

(जिसका उत्तर सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है)

"सोने और एनडीपीएस की तस्करी"

1680. श्री विद्युत बरन महतोः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग अप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), जो तस्करी रोधी आसूचना और जांच एजेंसी का शीर्षस्थ निकाय है, ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है और यदि हां, तो उक्त उत्सव में आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सोना, स्वापक पदार्थों और मनः प्रभावी पदार्थों आदि की तस्करी जैसी प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीआरआई द्वारा किए गए सभी उपायों के बावजूद देश में तस्करी के मामलों की संख्या में अभी भी वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में तस्करी के मामलों की बारीकी से निगरानी करने के लिए डीआरआई द्वारा अपनाए गए तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कुल कितने तस्करों और अपराधियों को पकड़ा गया और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा सोने और एनडीपीएस तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) जी हाँ। डीआरआई ने दिनांक 5 दिसंबर 2022 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। नई दिल्ली में एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया । इसके बाद 8वीं क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक (आरसीईएम) हुई, जो क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रवर्तन के प्रमुखों के साथ-साथ विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) और औषध एवं अपराध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय (यूएनओडीसी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बैठक है।

(ख) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2020, 2021, 2022 और 2023 (जनवरी 2023 तक) के दौरान सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं और डीआरआई द्वारा किए गए सोने की जब्ती के वर्षवार आंकड़े **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न हैं।

वर्ष 2020, 2021 और 2022 (नवंबर 2022 तक) के लिए सभी औषध कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्ती के वर्षवार आंकड़े **अनुलग्नक-ख** के रूप में संलग्न हैं।

(ग) सोने और औषध की तस्करी रोकने के लिए, सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाएं और डीआरआई निरंतर निगरानी रखते हैं और यात्री प्रोफाइलिंग, जोखिम आधारित प्रतिबंध और कार्गो खेपों का पता लगाने, गैर-अंतर्वेधी निरीक्षण, विमानों की खोजबीन और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय जैसे परिचालनात्मक उपाय करते हैं। तस्करों द्वारा अपनाई जाने वाली नई कार्यप्रणाली/ पद्धति से संबंधित कार्यप्रणाली परिपत्र समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

(घ) सोने की तस्करी में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है। गिरफ्तार औषध- तस्करों का विवरण **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

(ङ) सरकार नीतिगत हस्तक्षेप करती है और तस्करी की जांच के लिए परिचालनात्मक उपाय करती है। तस्करी के संभावित क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तस्करों द्वारा उपयोग की जाने वाली नई कार्यप्रणाली/ पद्धति से संबंधित कार्यप्रणाली परिपत्र सीमा शुल्क के सभी क्षेत्र संरचनाओं को जारी किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, एनडीपीएस तस्करी के खतरे का सामना करने के लिए, विभिन्न केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां और राज्य पुलिस विभाग भारत में औषध तस्करी की निगरानी और नियंत्रण करते हैं। विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक नार्को समन्वय केंद्र (NCORD) स्थापित किया गया है। औषध तस्करी के खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में एक समर्पित स्वापक निरोधक कार्य-दल की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तत्त्वावधान में स्थापित बहु-अभिकरण समुद्री सुरक्षा समूह (MAMSG) भी औषध तस्करी पर नज़र रखता है।

******

अनुलग्नक-क

“सोने और एनडीपीएस की तस्करी” के बारे में दिनांक 13.02.2023 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के संबंध में

सीमाशुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं एवं राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पकड़े गए सोने की तस्करी के मामले

कैलेंडर वर्ष	सोने की जब्ती के मामलों की कुल संख्या	जब्त किए गए सोने की कुल मात्रा (कि.ग्रा. में)	गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की कुल संख्या
2020	2567	2154.58	1389
2021	2445	2383.38	1421
2022	3982	3502.16	1710
2023 (जनवरी)	414	384.71	115

अनुलग्नक-ख

“सोने और एनडीपीएस की तस्करी” के बारे में दिनांक 13.02.2023 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के संबंध में

भारत में सभी औषध क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वर्ष 2019-2022 (नवम्बर ’22 तक) की अवधि के दौरान गिरफ़्तार किये गए कुल औषध तस्करों एवं पकड़े गए नशीले पदार्थों का विवरण

नशीला पदार्थ /वर्ष	2020	2021	2022* (नवम्बर 2022 तक)
एसिटिक अन्हाईड्राइड (कि. ग्रा. में)	121	24265	333
ए.टी.एस (कि. ग्रा. में)	1357	387	926
कोकेन (कि. ग्रा. में)	19	364	145
कोडीन (कि. ग्रा. में)	6537	660	354
कोडीन (लीटर में)	2229	994	2922
सी बी सी एस (लीटर में)	2542	569	908
एफ़िड्रीन/ स्यूडोएफ़िड्रीन (कि. ग्रा. में)	841	325	987
गांजा (कि. ग्रा. में)	580625	812545	556661
हशीश (कि. ग्रा. में)	4178	4197	2500
हशीश तेल (कि. ग्रा. में)	17	112	86
हैरोइन (कि. ग्रा. में)	3838	7197	3628
कीटामीन (कि. ग्रा. में)	228	1	3
खात के पत्ते (कि. ग्रा. में)	16	47	0
एल.एस.डी. (ब्लॉट में)	6645	6314	1083
एम.डी.एम.ए. (कि. ग्रा. में)	347	117	48
मैफीड्रोन (कि. ग्रा. में)	275	138	2842
मेसकालिन (कि. ग्रा. में)	0	0.20	0.00
मिथैक्वालोन (मैनड्रैक्स) (कि. ग्रा. में)	10	15	42
मोर्फीन (कि. ग्रा. में)	17	96	89
मोर्फीन (लीटर में)	684	35	0
अफ़ीम (कि. ग्रा. में)	5097	5161	2238
पॉपी हस्क एवं पॉपी स्ट्रॉ (कि. ग्रा. में)	384173	642609	317556
इंजेक्शन (संख्या में)	118222	173325	52045
सी बी सी एस (बोतलों में)	1023450	1531666	950067
सभी प्रकार की गोलियां कि. ग्रा. में	255	1667	758
सभी प्रकार की गोलियां संख्या में	42225867	37989918	5211503
कुल मामले	**55622**	**68144**	**66758**
की गई कुल गिरफ़्तारियां	**73841**	**93538**	**80374**

*अनंतिम आंकड़े

स्रोत: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय